राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

<u>आदेश</u>

एकलपीठ दांडिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 11275/2014
कानसिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान

दिनांक – 31.10.2014

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा</u>

डा. महेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री एन.एस.ढाका, लोक अभियोजक।

प्रार्थी ने यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर जमानत पर स्वतंत्र किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस मामले के सह-अभियुक्त विजेन्द्रसिंह एवं सह-अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार की जमानत उनके जमानत प्रार्थनापत्र क्रमश: संख्या 11273/2014 एवं 10257/2014 के अन्तर्गत इस न्यायालय की सहपीठ के आदेश दिनांक 27.10.2014 के द्वारा स्वीकार कर ली गयी है एवं प्रार्थी का प्रकरण भिन्न नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है, प्रार्थी का अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह इज्जतदार व्यक्ति है। यदि उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अत: प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर स्वतंत्र किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों का अवलोकन करने के उपरान्त मैं प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उपयुक्त समझता हूं।

अत: आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी कानसिंह पुत्र गोरधनसिंह की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 36/2009 पुलिस थाना अटरु जिला बारां के मामले में गिरफ्तारी की अवस्था में उसके द्वारा रुपये 2,00,000/- का स्वयं का बंधपत्र एवं इसी राशि की दो प्रतिभूति संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी/ अनुसंधान अधिकारी की संतुष्टि पर पेश कर तस्दीक कराने पर

उसे निम्न शर्तो के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:-

1. कि वह अनुसंधान अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिये जब व जहां अपेक्षित हो, अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा।

2. कि वह प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को अनुसंधान अधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रकट न करने के वास्ते कोई धमकी, वचन या प्रलोभन नहीं देगा।

3. कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना भारतवर्ष नहीं छोड़ेगा।

4. यदि प्रार्थी जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी प्रकार के अपराध में लिप्त पाया जाता है तो स्टेट आफ राजस्थान को उसकी जमानत निरस्त कराने हेतु नियमानुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

(न्या.महेश चन्द्र शर्मा)

सुरेश

All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment /order being E-mailed.

SK Sharma
PS